

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहॉगीराबाद, भोपाल



विपणन संघ

(ऑनलाईन प्रथम निविदा दस्तावेज)

डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, वित्तीय सहायक, टैली कंसलटेंट
गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु आउटसॉर्सिंग

निविदा दस्तावेज

वर्ष 2018-19




मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल पिन-कोड नं. 462008

क्रमांक/कम्प्यूटर/10000 /2017-18

भोपाल, दिनांक 15/01/2018

विभिन्न पदों के लिए आउटसोर्सिंग हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी की आवश्यकता हेतु
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल में समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूँ खरीदी व अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सहाय प्रोग्रामर, टैली कंसलटेंट, वित्तीय सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी से कार्य संपादन हेतु प्रथमतः एक वर्ष के लिए आवश्यकता है जिसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। इच्छुक प्रदाता एजेन्सी राशि रू० 2000/- प्रति फार्म का ई-टेण्डर के वेबपोर्टल पर ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 16.01.2018 से कर सकते हैं। निविदा फार्म संघ की वेबसाइट www.mpmarkfed.mp.gov.in से भी केवल अवलोकन हेतु डाउनलोड किया जा सकता है। बिना कोई कारण बताए कोई एक या सभी निविदा निरस्त करने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।


सचिव

निविदा दस्तावेज
2017-2018
विषय सूची

सरल क्र.	विवरण	पेज क्रमांक
1	2	3
1.	निविदा बावत जानकारी	04
2	निविदाकार कार्य अवधि, निविदा के उद्देश्य, निविदा कार्य का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण	05-08
3	अनुबंध पत्र	09-13
4	परिशिष्ट-एक (अ) तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित फार्म	14-15
5	परिशिष्ट-दो (ब) मेनपावर की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यप्रकृति के संबंध में	16-17
6	घोषण पत्र- (स)	18
7	परिशिष्ट-तीन (द) वित्तीय निविदा	19
8	शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में कार्य करने का अनुभव (ध)	20



विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय: जहांगीराबाद, भोपाल पिन-कोड नं 462008


ई-निविदा सूचना

विपणन संघ अपने मुख्यालय, मंडल कार्यालयो, जिला कार्यालयो में आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूँ खरीदी व अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, वित्तीय सहायक, टैली कंसलटेंट, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु सेवा प्रदाता संस्था की आवश्यकता हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की है। न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकार वेबसाइट [http:// www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है।

क्र.	विवरण	समय
1.	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धता	यह निविदा दस्तावेज विपणन संघ की वेब साईट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर सिर्फ अवलोकन- अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
2.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन कय हेतु उपलब्धता	निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in से निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित तिथि व समय तक कय मूल्य रु. 2000 + प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
3.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन कय करने की अंतिम तिथि व दिनांक	निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in से दिनांक 05-02-2018 समय दोपहर 04.00 बजे तक कय मूल्य ऑनलाइन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4.	ऑनलाइन निविदा जमा करने हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in से दिनांक 05-02-2018 समय रात्रि 11.59 बजे तक आनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी।
5.	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	1. तकनीकी बिड ऑनलाइन दिनांक 06-02-2018 समय प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। 2. फायनेंसियल बिड ऑनलाइन दिनांक 09.02.2018 व समय प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी।

निविदाकार के लिए निर्देश:-

- सभी इच्छुक एवं आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकारों को ई-निविदा पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन निविदा जमा करने के लिए निविदाकारों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट संबंधित जानकारी एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 18002588684 पर सुबह 10.00 बजे से सांय 7.00 या eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तिथि व समय पर खोली जावेगी।


सचिव



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के

भोपाल/जबलपुर/सागर/उज्जैन/इन्दौर/रीवा/ग्वालियर

संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, वित्तीय सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु निविदा दस्तावेज

विपणन संघ अपने मुख्यालय, मंडल कार्यालयो, जिला कार्यालयो में आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ खरीदी व अन्य विभिन्न व्यवसायिक कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर, प्रोग्रामर, सहा0प्रोग्रामर, टैली कंसलटेंट, वित्तीय सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक एवं वाहन चालक हेतु सेवा प्रदाता संस्था की आवश्यकता है।

(I) सेवा प्रदाता एजेन्सी के चयन का आधार

1. विपणन संघ द्वारा चाहे गये प्रपत्र-अ में दस्तावेजो की पूर्णता
2. सेवा प्रदाता द्वारा दी गई कुल देय राशि की दर (संलग्न प्रपत्र-स)
3. वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित फार्म में कुल सर्विस चार्ज राशि को ही आधार माना जावेगा यदि तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों द्वारा वित्तीय निविदा में एक समान कुल सर्विस चार्ज होता है तो निविदाकारों के वर्ष 2016-17 के अधिकतम टर्नओवर वाली एजेन्सी को एल-1 माना जावेगा।

(II) सेवा प्रदाता की आवश्यक अर्हतायें एवं अपलोड किये जाने वाले तकनीकी दस्तावेज:-

1. निविदाकार का मेनपावर आउटसोर्सिंग से कुल टर्नओवर न्यूनतम 3 करोड़ होना चाहिए। निविदाकार को टर्नओवर प्रमाणित करने हेतु वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित मेनपावर आउटसोर्सिंग से कुल आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (प्रत्येक वर्ष एक करोड़ होना अनिवार्य)
2. निविदाकार को किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग में सफलतापूर्वक आउटसोर्सिंग सेवायें प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है (प्रपत्र-1 (ध) के अनुसार कार्यादेशों की जानकारी भरकर कार्यादेशों की प्रति संलग्न करे)।
3. निविदाकार द्वारा बिन्दु क्रमांक 2 पर उल्लेखित शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों में सफलतापूर्वक सेवायें संतोषजनक प्रदान करने का प्रमाण पत्र।
4. निविदाकार किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। स्वच्छ छबि बाबत स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करे।
5. निविदाकार को आयकर निर्धारित (income tax assessee) होना आवश्यक होगा। गत 2 वर्षों की आयकर विवरणियां प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदाकार का भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत होना आवश्यक होगा (पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है)।
7. भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा सर्विस टैक्स की वर्ष 2016 एवं 2017 की चालान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. जिस निविदाकार के नाम से निविदा प्राप्त होगी उसी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे। कंसोर्शियम मान्य नहीं किया जावेगा।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी का भोपाल में कार्यालय संचालित होना चाहिये ताकि मार्कफेड द्वारा मुख्यालय स्तर पर जिलों में पदस्थ मेनपावर की समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।

(III) सेवा प्रदाता की आवश्यक अर्हतायें एवं अपलोड किये जाने वाले वित्तीय दस्तावेज:-

1. निविदाकार को वेबपोर्टल पर उपलब्ध Price Bid के अंतर्गत अपलोड किये गये एक्सेल शीट को डाउनलोड कर उसमें दर भरकर पुनः अपलोड किया जाना है।
2. वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित फार्म में कुल सर्विस चार्ज की राशि को ही चयन का आधार माना जावेगा।
3. निविदाकार को वित्तीय निविदा में न्यूनतम देय वेतन का सर्विस चार्ज की राशि (रूपये में) अंकित करना अनिवार्य है। राशि अंकित न करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

(IV) अमानत राशि:-

1. निविदा दस्तावेज के साथ अमानत राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) वेबपोर्टल www.mpeproc.gov.in में ई-पैमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा।
2. निविदाकार को अमानत राशि जमा करने की ई-रसीद की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त माना जायेगा।
3. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसकी अमानत राशि रू0 2,00,000/- (दो लाख) अनुबंध अवधि तक सिक्थोरिटी डिपोजिट के रूप में जमा रहेगी। जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। परफारमेंस निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
4. असफल निविदाकार की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध कर लिये जाने के उपरांत उनके द्वारा वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये बैंक खाते पर उक्त राशि ऑनलाईन वापस कर दी जायेगी।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने के दिनांक से 3 माह हेतु वैध होगी। दरों की वैधता अवधि में कार्यादेश स्वीकार नहीं करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा विपणन संघ के पास जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

(V) सामान्य नियम एवं शर्तें

1. सेवाप्रदाता एजेन्सी से निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार अनुबंध प्रथमतः अनुबंध अवधि की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक वैध होगा। इस समयावधि में दोनो पक्षों की सहमति से वृद्धि की जा सकती है।
2. विपणन संघ द्वारा लिखित सूचित किये जाने के 7 कार्यालयीन दिवस में निविदादाता द्वारा निर्धारित स्थानों पर मेनपावर पदस्थ कर दिये जायेंगे।
3. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर जिस कार्य के लिए पदस्थ किये गये है उस कार्य में अक्षम पाये जाने पर निविदादाता को 2 कार्यालयीन दिवस में उनके स्थान पर नये मेनपावर पदस्थ करने होंगे। अन्यथा बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार कटौता किया जावेगा।




4. कार्यदेश जारी करने के दिनांक से 7 दिवस तक निविदादाता द्वारा मेनपावर की नियुक्ति नहीं किये जाने की दशा में या बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- की दर से कटौती किया जायेगा। यह कटौती देयक में से या अमानत राशि में से किया जा सकेगा।
5. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर के द्वारा विपणन संघ की संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्ध होने पर निविदादाता द्वारा संबंधित नुकसान की तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी।
6. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर 18 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 45 वर्ष की आयु से अधिक के न हों (केवल वित्त सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक को छोड़ कर)।
7. विपणन संघ द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर मेनपावर की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाता को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उसी प्रकार यदि विपणन संघ द्वारा मेनपावर की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा।
8. अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा सेवा प्रदाता को मेनपावर के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
9. निविदाकार द्वारा पदस्थ किए गये मेनपावर निविदाकार के ही स्टाफ होंगे एवं उनके द्वारा रोजगार हेतु विपणन संघ पर किसी प्रकार के क्लेम स्वीकार्य नहीं होंगे।
10. कार्य के दौरान यदि मेनपावर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी का होगा।
11. एजेन्सी, श्रम कानूनों का पालन के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं उसें आवश्यक पंजीयन, संबंधित विभाग से प्राप्त कर, अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेंगे जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।

(VI) मेनपावर को किये जाने वाले भुगतान एवं अवकाश के नियम:-

1. निविदाकार द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावरों को श्रमायुक्त कार्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर परिवर्तित पारिश्रमिक दरे देय होगी।
2. निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मेनपावर को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार प्रति माह की 7 तारीख के पहले वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस आशय की स्वघोषणा पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाना होगा।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी अपने समस्त मेनपावरों को मासिक पारिश्रमिक/अन्य दायित्व समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत एजेन्सी के द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की 7 तारीख विपणन संघ मुख्यालय भोपाल में जमा करना होगा।
4. एजेन्सी के द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ समस्त मेनपावर के पारिश्रमिक का भुगतान KYC धारित Account में NEFT/RTGS माध्यमों से ही किया जावेगा। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये कर्मचारी का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर का भुगतान संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एवं प्रति माह के देयक के साथ उक्त भुगतानों से संबंधित दस्तावेज विपणन संघ को उपलब्ध कराना होंगे।
6. निविदादाता द्वारा प्रति माह के देयक के साथ विगत माह मेनपावर का EPF एवं ESIC मद में जमा किये गये बैंक चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा देयक का भुगतान संघ मुख्यालय से किया जावेगा।



7. यदि किसी भी मेनपावर द्वारा एजेंसी से कम भुगतान प्राप्त होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
8. सर्विस प्रदायकर्ता को आवश्यकतानुसार सप्ताह के सातों दिवस कार्य करना होगा।
9. उपलब्ध कराये गये मेनपावर को सप्ताह में केवल एक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। कार्यालयीन आवश्यकता होने पर उन्हें अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है जिसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नहीं होगी।
10. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को माह में एक दिवस का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा एवं यह अपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से एक दिवस से अधिक अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना मुख्यालय को सात दिवस पूर्व दे तथा निविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि अकस्मात् अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की सूचना के सात दिन के भीतर निविदाकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी/अनुपस्थिति की अवधि हेतु निविदाकार को कोई भुगतान देय नहीं होगा परंतु सूचना के 07 दिन के उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रति दिन रुपये 100 की पेनल्टी लगायी जाएगी, जो कि निविदाकार के अगले देयक भुगतान में से वसूल की जाएगी।
11. संघ के प्रबंध संचालक को सेवा प्रदाता की निविदा निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार होगा।
12. निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध की शर्तें पृथक से संलग्न है।
13. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार अनुबंधकर्ता संस्था के क्षेत्राधिकार के लिये समक्ष न्यायालय भोपाल होगा।



अनुबंध

सफल निविदाकार को विपणन संघ के साथ रू0 1000/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार अनुबंध करना होगा।

यह अनुबंध म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 जहांगीराबाद भोपाल (जिसे आगे प्रथम पक्ष के रूप में जाना जायेगा) तथा (सफल निविदाकार का नाम) जिसका पता (सफल निविदाकार का पता) है (उन्हे आगे द्वितीय पक्ष के रूप में जाना जायेगा) के मध्य निष्पादित हुआ।

यह कि

प्रथम पक्ष मार्कफेड द्वारा अपने मुख्यालय, जिलो एवं मंडल कार्यालयो एवं गोदाम केन्द्रों में मेनपावर हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों की सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा सूचना जारी की गई थी एवं प्राप्त निविदाओ में चयनित होने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा कार्यादेश जारी किया जावेगा।

प्रथम पक्ष के द्वारा जारी किये गये कार्यादेश को स्वीकार करते हुए चयनित एजेन्सी द्वितीय पक्ष ने निविदा दस्तावेज में उल्लेखित निम्न नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति दी है।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मेनपावर आउटसोसिंग हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवायें प्राप्त करने के लिए जो निविदा दस्तावेज जारी किया है, वह एवं द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव इस अनुबंध का अविभाज्य भाग है।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालयो में निम्न अर्हता धारित करने वाले मेनपावर दिये जायेंगे:-

शैक्षणिक योग्यता:-

(अ) डाटा एंट्री ऑपरेटर-

1. किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
2. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में निम्न अर्हता धारित हो जैसे:-
PGDCA/DCA/DOEACC/CPCTor any certificate course in computer operation from a recognized institute
- 3- किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।

डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का विवरण:-

1. डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आदेशित गेहूं, धान, खाद व अन्य सॉफ्टवेयर पर कार्य करना तथा आदेशित कार्य जैसे एम0एस0ऑफिस विशेषतः वर्ड,एक्सल, पावरप्वाइंट में कार्य करना, हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग एवं इंटरनेट रिलेटेड ई-मेल से संबंधित कार्य पूर्ण करेगा।

(ब) प्रोग्रामर एवं सहा0प्रोग्रामर-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ई0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना
2. सहा. प्रोग्रामर के लिए कम से कम दो वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव



3. प्रोग्रामर के लिए कम से कम तीन वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव

(स) – टैली कंसलटेंट–

1. किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.ए. इंटर/आई.सी.डब्ल्यू.ए. इंटर/एम.कॉम
2. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में PGDCA की अर्हता धारित हो।
3. लेखांकन पद्धति, टैली लेखांकन, कम्प्यूटर में लेखांकन कार्य (वर्ड एवं एक्सल आदि) का ज्ञान एवं जी0एस0टी नियम एवं लेखांकन की पूर्ण जानकारी के साथ कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

(द) – वित्तीय सहायक–

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग से समन्वय हेतु वित्त कोष एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

(ध) – गुणवत्ता नियंत्रक–

1. भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डार गृह निगम/स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गुणवत्ता नियंत्रक विंग से सेवानिवृत्त अधिकारी

(न) – वाहन चालक–

1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
2. चार पहिया वाहन लाईसेंस (कमर्शियल)
3. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट संस्थान में वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव

3. प्रथम पक्ष द्वारा लिखित सूचित किये जाने के 07 कार्यालयीन दिवस में द्वितीय पक्ष द्वारा मेनपावर पदस्थ कर दिये जायेंगे।
4. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 07 दिवस तक मेनपावर के नियुक्त न होने या मेनपावर के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- की दर से कटौती किया जायेगा। यह कटौती देयक में से या अमानत राशि में से किया जा सकेगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर 18 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 45 वर्ष की आयु से अधिक के न हों (केवल वित्त सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक को छोड़ कर)।
6. मेनपावरों को सप्ताह में केवल एक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। कार्यालयीन आवश्यकता होने पर उन्हें अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है जिसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नहीं होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को माह में एक दिवस का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा एवं यह अपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से एक दिवस से अधिक अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना मुख्यालय को सात दिवस पूर्व दे तथा निविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि अकस्मात् अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की सूचना के सात दिन के भीतर निविदाकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी/अनुपस्थिति की अवधि हेतु निविदाकार को कोई भुगतान देय नहीं होगा परंतु सूचना

12

- के 07 दिन के उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रति दिन रुपये 100 की पेनल्टी लगायी जाएगी, जो कि द्वितीय पक्ष के अगले देयक भुगतान में से वसूल की जाएगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर प्रथम पक्ष द्वारा अक्षम पाये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा 2 कार्यालयीन दिवस में उनके स्थान पर नये मेनपावर पदस्थ किये जायेंगे।
 9. द्वितीय पक्ष द्वारा पदस्थ किये गये मेनपावर के द्वारा प्रथम पक्ष की संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाना सिद्ध होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित नुकसान की तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार भरपायी की जावेगी।
 10. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मेनपावर को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार प्रति माह की 7 तारीख के पहले वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस आशय की स्वघोषणा पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाना होगा।
 11. यदि किसी भी मेनपावर द्वारा एजेंसी से कम भुगतान प्राप्त होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, तो श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 12. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर मेनपावर की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उसी प्रकार यदि प्रथम पक्ष द्वारा मेनपावर की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा।
 13. द्वितीय पक्ष अपने समस्त मेनपावरों को मासिक परिश्रमिक/अन्य दायित्व समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत एजेन्सी के द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की 7 तारीख विपणन संघ मुख्यालय भोपाल में जमा करना होगा।
 14. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रदाय किये गये कर्मचारियों का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 एवं सेवाकर का भुगतान संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एवं प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानों से संबंधित दस्तावेज प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे। तत्पश्चात् ही आगामी भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा।
 15. अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा मेनपावर के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
 16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति माह के देयक के साथ विगत माह मेनपावरों का EPF एवं ESIC मद में जमा किये गये बैंक चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा देयक का भुगतान संघ मुख्यालय से किया जावेगा।
 17. मेनपावर के संबंध में वैधानिक भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रथम पक्ष के द्वारा मांगे जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
 18. द्वितीय पक्ष अपने द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर को नियुक्ति पत्र जारी कर उसकी एक प्रति साथ में अहर्ता प्रमाणों, आधारकार्ड नंबर, बायोडाटा फोटो सहित के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
 19. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर के अच्छा आचरण एवं व्यवहार की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
 20. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर यदि अभद्र व्यवहार, अमर्यादित आचरण या अशोभनीय कृत्य में लिप्त पाये गये तो प्रथम पक्ष कानूनी कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

21. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर द्वितीय पक्ष के मेनपावर रहेंगे, उनके द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष के कर्मचारी होने का दावा किसी भी मंच पर मान्य नहीं होगा।
22. श्रमायुक्त मध्यप्रदेश या जिला प्रशासन श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर घोषित वेतन वृद्धि का लाभ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उच्चकुशल, वाहन चालक के लिए अर्द्धकुशल एवं प्रोग्रामर, सहा.प्रोग्रामर, टैली कंसलटेंट, वित्त सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक के लिए निर्धारित वेतन स्लेव हेतु समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतन धारा का पालन करना द्वितीय पक्ष का वैधानिक दायित्व होगा।
23. यदि किसी भी सक्षम शासकीय विभाग द्वारा निरीक्षण में मेनपावर को भुगतान के संबंध में अनियमितता पाये जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है तो, उसे वहन करना द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कलेक्टर द्वारा श्रमिक हेतु निर्धारित दर EPF (नियोक्ता का अंशदान) ESIC अंशदान सेवा कर नियमानुसार एवं सेवा प्रदाता का सेवा शुल्क कार्यादेश के अनुसार भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त शासकीय दरों में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को शामिल कर प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जावेगा।
25. द्वितीय पक्ष को किये जा रहे भुगतान में से प्रथम पक्ष द्वारा आयकर का कटौती किया जावेगा।
26. अनुबंध अवधि में सेवा शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी।
27. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मेनपावर को निविदा फार्म में दर्शित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
28. अनुबंध अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा मेनपावर बदले जाने की स्थिति में विपणन संघ के मुख्यालय को पहले से सूचित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा मेनपावर का वेतन भुगतान बाधित हो जावेगा।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं में कोई भी सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी, साथ ही लंबित देय राशि एवं EMD राजसात कर ली जावेगी।
30. इस अनुबंध की किसी भी कंडिका की व्याख्या का अधिकार केवल विपणन संघ के प्रबंध संचालक को होगा। इस अनुबंध एवं कार्य से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में विपणन संघ के प्रबंध संचालक ही आर्बीट्रेटर होंगे एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
31. विपणन संघ के प्रबंध संचालक को सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रतिवाद मान्य नहीं होगा।
32. यह कि यह अनुबंध प्रथमतः अनुबंध अवधि की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक वैध होगा। इस समयावधि में दोनों पक्षों की सहमति से वृद्धि की जा सकती है।
33. विपणन संघ में पूर्व एजेन्सी के माध्यम से पदस्थ मेनपावर को यथावत कार्यरत रखना होगा।
34. नई अनुबंध अवधि के लिये नया अनुबंध किया जाना होगा।

निम्न गवाहों के समक्ष आज दिनांक————— को दोनो पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षर किया गया।



(सचिव)

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0

(—————)

सेवा प्रदाता एजेन्सी



विपणन संघ

प्रपत्र-अ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल
मेनपावर की आउटसोर्सिंग के कार्य हेतु निविदा
(तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित फार्म)

क्रमांक	विवरण	
1	फर्म/एजेंसी/निविदाकार का नाम	
2	निविदाकार का पता	
3	हस्ताक्षर कर्ता का नाम एवं पद	
4	पत्र व्यवहार का पता	
5	दूरभाष क्रमांक	
6	ई-मेल का पता	
7	फर्म/एजेंसी में कार्यरत कर्मियों की संख्या (कम से कम 200 होना अनिवार्य है।)	
8	शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। (कार्यादेश/संतोष जनक प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
9	आयकर निर्धारित वर्ष 2015-16 वर्ष 2016-17 (पिछले 2 वर्षों की जानकारी देवे)	
10	विगत 3 वर्षों का टर्न ओवर (सी0ए0 द्वारा सर्टिफाईड प्रमाण-पत्र केवल लाभ हानि पत्रक संलग्न करें साथ ही न्यूनतम टर्न ओवर 1 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है।)	2014-15 2015-16 2016-17
11	निविदा दिनांक को वैध निम्न पंजीयन विवरण <ul style="list-style-type: none">हस्ताक्षरकर्ता का पेन कार्ड नम्बरफर्म/संस्था का पेन कार्ड नम्बरसर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बरई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन नम्बरकर्मचारी राज्य बीमा निगम का रजिस्ट्रेशन नम्बरजी0एस0टी0एन0 में पंजीयन (सत्य प्रतिलिपि संलग्न करे)	

✓

12	ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि की रसीद	ई-रसीद
13	शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होने की स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है।	
14	यदि सेवा के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा हो तो उसका उल्लेख करें।	

नोट:- कॉलम 1 से 14 तक की समस्त जानकारी देना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं उन निविदाकारों के वित्तीय निविदा पत्रक नहीं खोली जावेगी।

घोषणा पत्र - हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी सत्य है। हमारे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। अनुबंध अवधि के दौरान उक्त जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत असत्य प्रमाणित होने पर हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम अनुबंध की समस्त शर्तों पर सहमत हैं।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

दिनांक -

स्थान -

परिपत्र- ब

शैक्षणिक योग्यता:-

(अ) डाटा एंट्री ऑपरेटर-

4. किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
5. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में निम्न अर्हता धारित हो जैसे:-
PGDCA/DCA/DOEACC/CPCTor any certificate course in computer operation from a recognized institute
3. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव।

डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का विवरण:-

2. डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आदेशित गेहूं, धान, खाद व अन्य सॉफ्टवेयर पर कार्य करना तथा आदेशित कार्य जैसे एम0एस0ऑफिस विशेषतः वर्ड,एक्सल, पावरप्वाइंट में कार्य करना, हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग एवं इंटरनेट रिलेटेड ई-मेल से संबंधित कार्य पूर्ण करेगा।

(ब) प्रोग्रामर एवं सहा0प्रोग्रामर-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ई0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) अथवा एम0सी0ए0 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना
2. सहा. प्रोग्रामर के लिए कम से कम दो वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव
3. प्रोग्रामर के लिए कम से कम तीन वर्ष का SQL/VB.net एवं वेब डिजाईनिंग का अनुभव

(स) - टैली कंसलटेंट-

1. किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.ए. इंटर/आई.सी.डब्ल्यू.ए. इंटर/एम.कॉम
2. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में PGDCA की अर्हता धारित हो।
3. लेखांकन पद्धति, टैली लेखांकन, कम्प्यूटर में लेखांकन कार्य (वर्ड एवं एक्सल आदि) का ज्ञान एवं जी0एस0टी नियम एवं लेखांकन की पूर्ण जानकारी के साथ कार्य अनुभव होना आवश्यक है।



(द) – वित्तीय सहायक–

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग से समन्वय हेतु वित्त कोष एवं लेखा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

(ध) – गुणवत्ता नियंत्रक–

1. भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डार गृह निगम/स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गुणवत्ता नियंत्रक विंग से सेवानिवृत्त अधिकारी


(न) – वाहन चालक–

1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
2. चार पहिया वाहन लाईसेंस
3. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट संस्थान में वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव



घोषणा (स)

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमें/मुझे म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल की निर्धारित सभी शर्तें मंजूर हैं। तथा हमें/मुझे विपणन संघ मुख्यालय/मण्डल/जिला/गोदाम/कैपो/प्रागणो में मेनपावर व्यवस्था की पूर्ण जानकारी है। हम/मैं इस पर सहमति देता हूँ कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिये लगाये गये मेनपावरों को समय-समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 07 तारीख पर भुगतान किया जावेगा। शासन के नियम/निर्देशों के तहत वैधानिक देय राशि कटोत्रे यथा ई०एस०आई०/ई०पी०एफ० तथा सर्विस टैक्स आदि की राशि निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था से प्राप्त कर संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूंगा। सर्विस टैक्स, ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० सभी प्रकार के लेवी/टैक्स जमा करने संबंधी अनुबंध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। लेवी/टैक्स की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।



आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील
के साथ

आवेदक/एजेन्सी का नाम.....

पूरा पता.....

.....

दूरभाष/मोबाईल कं०.....

परिपत्र- द
वित्तीय निविदा

निविदाकार का नाम.....

कं.	विवरण	न्यूनतम देय वेतन (रूपये)	नियमानुसार ई0पी0एफ0 नियोक्ता का अंशदान राशि का प्रतिशत	नियमानुसार ई0एस0आई0 नियोक्ता का अंशदान	सर्विस चार्ज्स जो सेवादाता लेगा की राशि में	अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5			
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर	उच्चकुशल (वर्तमान दर 10,660 /-)					
2	वाहन चालक	अर्द्धकुशल (वर्तमान दर 7982 /-)					
3	प्रोग्रामर	18,500 /-					
4	सहाय प्रोग्रामर	15,500 /-	(शासकीय नियमानुसार)	(शासकीय नियमानुसार)			
5	गुणवत्ता सलाहकार	25,000 /-					
6	वित्तीय सहायक	22,000 /-					
7	टैली कसलट्ट	15,500 /-					
				कुल सर्विस चार्ज			

नोट:- 1. डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन उच्च कुशल श्रेणी एवं वाहन चालक का वेतन अर्द्धकुशल श्रेणी का निर्धारित है। जो समय-समय पर कलेक्टर रेट अनुसार बदलता रहेगा।

2. सर्विस चार्ज केवल राशि में भरना अनिवार्य है। (शब्दों में भी अंकित करें) अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

3. तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों के लिए कुल सर्विस चार्ज को ही चयन का आधार माना जावेगा।



